जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के अनुमोदन करने के लिए संक्षित दिशा–निर्देश

सभी निम्न योजनाओं के लिए आवश्यक :

- **जनआधार/**भामाशाह एवं आधार कार्ड अनिवार्य।
- अनुसूचित जनजाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह सूचना भामाशाह में उपलब्ध है।
- आय प्रमाण पत्र ए.पी.एल. के लिए आवश्यक, बी.पी.एल. के लिए नहीं। एपीएल–बीपीएल वर्ग की सूचना भामाशाह में उपलब्ध।
- छात्र–छात्राओं के अध्ययन में अन्तराल (Gap) नहीं होना चाहिए।

1. **जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता**
   - छात्रा निजी / राजकीय महाविद्यालय में सामान्य शिक्षा (कला, विज्ञान एवं विज्ञान वर्ग से) में नियमित अध्ययनरत हो।

2. **जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता**
   - छात्रा राजकीय विद्यालय में नियमित रूप से 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत।

3. **छात्रगृह किराया सहायता योजना**
   - अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत जनजाति छात्र / छात्राओं के लिए (भामाशाह में पहले से उपलब्ध)
   - राजकीय महाविद्यालय में सामान्य शिक्षा (कला, विज्ञान एवं विज्ञान वर्ग से) स्नातक अथवा स्नातकोतर में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
   - गृह किराया के लिए स्व–घोषित प्रमाण–पत्र अथवा गृह किराया की प्राप्ति रसीद की प्रति।

4. **बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र को आर्थिक सहायता**
   - छात्र 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा राजकीय विद्यालय से प्रथम श्रेणी (60% या 60% से अधिक) से उत्तीर्ण हो।
   - छात्र राजकीय विद्यालय अथवा राजकीय महाविद्यालय में सामान्य शिक्षा (कला, विज्ञान एवं विज्ञान वर्ग से) में नियमित अध्ययनरत हो।
   - 11वीं में अध्ययनरत → 10वीं में प्रथम श्रेणी।
   - 12वीं में अध्ययनरत → 10वीं में प्रथम श्रेणी एवं 11वीं 48%
   - प्रथम वर्ष स्नातक में अध्ययनरत → 12 वीं में प्रथम श्रेणी
   - द्वितीय वर्ष स्नातक में अध्ययनरत → 12 वीं में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम वर्ष में 48%
   - तृतीय वर्ष स्नातक में अध्ययनरत → 12 वीं में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय वर्ष में 48%